

उत्तरिम अस्थाई
तारीख पेशी तक इस
केया जमा है कि
पुराना 98 के खंज
नं. 393 रकबा 0.36
0.27 है, खंज नं. 395
396 रकबा 0.04 है.
0, खंज नं. 398
399 रकबा 0.35 है.
कुल कित्ता 09
ठाम सौडाला तहसील
से की भूमि का
बधा कारित ना
स्थिति यथावत
अदिश रास्ता
में होगा। प्रकरण
प्रार्थना जरिये
। लिफाफे मय
में पूर्व पेश करे
करने में विफल
थायी निषेधाज्ञा
ही जावेगा।
की पेश है।

उप सचिव अधिकारी
बांसीकुई (दोवा)

उप/तलवी
की जाड
के पेश हो

उप सचिव अधिकारी
बांसीकुई (दोवा)

उप/तलवी
की जाड

अधिकारी
(दोवा)

13/10/2025

पत्रावली पेश हुई। तकील प्रार्थी (390) तलवी नोडिफ
डाउरलीड-यल्या कर पेश किया। बांसी कुई तहसील
पत्रावली दिनांक 11/11/2025 को पेश हो।

उप सचिव अधिकारी
बांसीकुई (दोवा)

11/11/25

पत्रावली पेश हुई। तकील बांसी कुई
अप्राथमिकी की तामील जसे रिजि
सामन दिनांक 15/11/25 को की गई
पत्रावली में नोडिफ कर यथावत
अप्राथमिकी के सिरेम सुल पक्षीय करवादी
की जाती है। सुदक प्रार्थना कु-डिदि
पत्रावली का अनुमोदन किया गया। प्राची
द्वारा भूमि रवात संख्या नं. 112 पुराना 98
392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399,
400, कुल कित्ता 9 कुल रकबा 2.66 हेक्
में सल्लास का दवा पेश किया गया है।
वापरास भूमि वादी 1/3 दिक्से व्यास
संबंधित है। अप्राथमिकी द्वारा प्रार्थना का जमा
पेश नहीं किया गया है। अस्थाई प्रार्थना
को निर्णय निर्मांजित तीन सिद्ध पर किया
जाता है। (1) पुज्यन दृष्ट्या मामला 2 सुनिधा
का संतुलन 3 अपूर्ण प्रार्थना का सिद्धांत

(1) पुज्यन दृष्ट्या मामला: - वापरास भूमि
में वादी सदस्योपार है। वादी तल्लास
चाहता है। तल्लास देने से पूर्व वापरास
का स्वरूप बदलने की सम्भावना रहती है।
इसलिए भूमि वादी का तल्लास/ निर्णय देने
तक अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जा-ग
उचित है। पुज्यन दृष्ट्या मामला प्राची के पक्ष में
है।

व्य ह-

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व ता अहकाम जो हुकम की ता में जारी हुए
	<p>12) सुनिधा वल संगुलन एवं नपूनी विद्वानि वल सिद्धा उल देनो सिपु वल निस्सारण कसिप की दृष्टीसे स्वशास्य सिपु जा रधा है अस्वामी निषदाश के मामले में सिपु एल सिपु प्रामी / अग्रामी के पदा में लप धते हैं तो उल देनो सिपु भी उसी के पदा में लप किने जाने धते हैं उल प्रकषण में प्रुवक प्रुषण मामला प्रामी के पदा में लप सिपु गजा है उल देनो सिपु भी प्रामी के पदा में लप सिपु जते है</p> <p>अतः प्रुवक में दिनांक 8/7/2025 के जारी अन्तसिम अस्वामी निषेधाश मूल बाद सिपु अन्तसिम अस्वामी निषेधाश 15/11/2025 एल सिपु धेने लप कसिप की जाती है प्रुवक प्रुवक सुमार धेकर मूल बाद के धमपिना है।</p> <p>अतः 11.11.25 उप लण्ड अधिकारी बावीकई (दोसा)</p>	